न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — डा.नरेन्द्रकुमार थोरी,
आर.ए.एस.

अपील संख्या — 36 / 2016

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
सुन्दरदेवी पुत्री धरमा,जाति मेगवंशी, निवासी गोल हाल–बावतरा, तहसील सायला, जिला जालोर		1.बदीया उर्फ बदाराम पुत्र धरमा, जाति मेगवंशी,निवासी गोल (उम्मेदाबाद) , तहसील व जिला जालोर 2.गंगादेवी पुत्री धरमा पत्नि बाबरारामजी, जाति मेगवंशी, निवासी सायला, तहसील सायला, जिला जालोर 3.उदरीदेवी पुत्री धरमा पत्नि छोगारामजी, जाति मेगवंशी, निवासी पहाडपुरा,तहसील व जिला जालोर 4.पारसमल पुत्री खेतारामजी 5.सकाराम पुत्र खेतारामजी,जातियान् मोची,निवासी गोल (उम्मेदाबाद), तहसील व जिला जालोर 6तहसीलदार (भू.अ.) जालोर 7.एम.जी.बी.ग्रामीण बैंक उम्मेदाबाद जरिये शाखा प्रबंधक,उम्मेदाबाद

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर,दिनांक 31.8.1998(ना.क.सं.193)

उपस्थिति :–
1.श्री तेजसिंह बालावत्,अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2.श्री परमानन्द शर्मा व श्री नीखिल दवे,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.4,5की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.6 की ओर से।
4.रेस्पोडेन्ट सं.1 के वकील व रेस्पोडेन्ट सं. 2 ,3 व 7अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 13.11.2018

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा गोल के वर्तमान खसरा नम्बर 146 रकबा 2.95 हेक्टर की खातेदारी धरमा पुत्र लछीया, कौम मेगवंशी ,साकिन गोल दर्ज थी जो पुश्तैनी आराजी है। धरमा के फौत होने पर नामान्तरकरण सं. 193 में तमाम खातेदारी बदीया पुत्र धरमा के नाम दर्ज कर दी जिसका नामान्तरकरण तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक 31.8.98 को स्वीकृत कर दिया।धरमा के वारिसान् में बदीया (पुत्र), सुन्दरदेवी(पुत्री), गंगादेवी (पुत्री), उदरीदेवी(पुत्री) है। धरमा के वारिसान् का नामान्तरकरण पुत्र व पुत्रियों के नाम से भरा जाना चाहिये था जबकि अकेले धरमा के पुत्र बदीया के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो गलत रूप से किया गया है। खातेदारी में अपीलांट– सुन्दरदेवी वगैराह धरमा की पुत्रिया होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् समान रूप से बहिस्सा बराबर का हक है। अपीलांट अपने ससुराल बावतरा से दिनांक 17.5.2016 को अपने पीहर गोल आई तो अपने भाई रेस्पोडेन्ट सं.1 से खेत के हिस्से के बारे कहा जिस पर रेस्पोडेन्ट सं.1 ने बताया कि खेत उसने अकेले के नाम कर बैचान कर दिया है। जिस पर अपीलांट ने नकलो हेतु आवेदन किया व नकले दिनांक 25.5.16 को प्राप्त हुई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर मौजा गोल का नामान्तरकरण सं. 193 दिनांक 31.8.98 निरस्त कर अपीलांट के पिता धरमा के वारिसानों की जांच कर उनके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ मौजा गोल के नामान्तरकरण सं. 193 की प्रमाणित प्रति पेश की , इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र का रेस्पोडेन्ट्स की ओर से जवाब पेश नही किया गया है, अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि मौजा गोल की पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 146रकबा 2.95 हेक्टर की भूमि अपीलांट के पिता धरमा की खातेदारी में थी, धरमा के फौत होने पर उक्त

भूमि का नामान्तरकरण सं.193 तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक 31.8.1998को केवल रेस्पोडेन्ट सं.1–बदीया के नाम स्वीकृत किया गया है जबकि धरमा के पुत्र रेस्पोडेन्ट सं.1–बदीया के अलावा उसकी 3 ओर पुत्रियां –सुन्दरदेवी, गंगादेवी व उदरीदेवी भी है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् खातेदारी में बराबर का अधिकार रखती है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 31.8.1998 (ना.क.सं.193) निरस्त करावे व धरमा के वारिसानों की जांच कर अपीलांट के नाम भी म्युटेशन में बराबर हिस्सा दर्ज करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.1के वकील ने बहस में बताया कि तहसीलदार जालोर के दिनांक 31.8.1998 के आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 3.6.2016 को की गई है जो करीब 18 साल बाद देरी से पेश की जाने से म्याद बाहर है। रेस्पोडेन्ट सं.1–बदीया द्वारा उक्त भूमि का बैचान रेस्पोडेन्ट सं.4 व 5 क्रमशः पारसमल व सकाराम को किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं.2 व 3 जो धर्मा की पुत्रियों है, ने कोई अपील नही की है। बैचान दस्तावेज को निरस्त करवाये बिना अपीलांट अपील में नही आ सकते। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार किसी हिन्दू पुरूष की मृत्यु पर उसकी विधवा,पुत्रियां, पुत्र सभी का समान हक सम्पति में उत्पन्न होता हैं।मौजा गोल (उम्मेदाबाद)के नामान्तरकरण सं. 193 जो तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक 31.8.1998 को केवल मृतक धरमा के पुत्र रेस्पोडेन्ट सं.1–बदीया के नाम ही स्वीकृत किया गया है जिसमें धरमा की पत्नि को भी फौत होना बताया है, लेकिन धरमा के पुत्र–बदीया के अलावा धरमा की 3 ओर पुत्रियां जीवित है,उनके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत नही किया गया है जिनमें से अपीलांट सुन्दरदेवी भी एक है। हस्तगत प्रकरण में धरमा की मृत्यु होने पर खसरा नम्बर 146में चारो वारिसान् का अधिकार जरिये उत्तराधिकार उत्पन्न हुआ लेकिन नामान्तरकरण सं.193 के द्वारा सिर्फ बदा उर्फ बदीया का नाम ही दर्ज किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने सिर्फ पुत्र को ही हकदार मानकर भूल की है।

उत्तराधिकार के नामान्तरकरण में कब्जे का प्रश्न गौण होता है सिर्फ यह देखा जाता हैं कि मृतक काश्तकार के उत्तराधिकारी कौन–कौन है। सभी का कब्जा नही होने के उपरान्त भी विधिवत् सभी उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किये जाने का प्रावधान है।

जिस दिन धरमा की मृत्यु हुई उसी दिन अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.2 व 3 विवादित आराजी के खातेदार स्वतः बन गये ,उन्हे धरमा की मृत्यु के समय उनको यह अधिकार उत्पन्न हो गया था।जमाबंदी में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.2 व 3 का नाम नही होने से सुन्दरदेवी,गंगादेवी व उदरीदेवी के अधिकार समाप्त नही हो जाते है। रेस्पोडेन्ट सं.1–बदीया के द्वारा खसरा नम्बर 146 का सम्पूर्ण बैचान रेस्पोडेन्ट सं.4 व 5 को किया जाना भी विधि विपरीत है क्योकि धरमा की मृत्यु पर खसरानम्बर 146 मे बदीया को 1/4हिस्से पर ही अधिकार उत्पन्न हुए है,शेष हिस्सा धरमा की पुत्रिया सुन्दरदेवी,गंगादेवी व उदरीदेवी के बराबर की खातेदारी के अधिकार में रहती है। बदीया ने अपने 1/4 हिस्से के अलावा खसरा नम्बर 146के अपीलांट–सुन्दरदेवी, रेस्पोडेन्ट सं.2–गंगादेवी व रेस्पोडेन्ट सं.3–उदरीदेवी के कमशः 1/4, 1/4, 1/4 के हिस्से का भी बैचान कर दिया जो एब–इनिश्यो वॉइड है, क्योंकि उसे अपनी बहिनों का हिस्सा बैचने का अधिकार नही था और केता को विवादित आराजी खरीद करने से पूर्व यह देख लेना चाहिये था कि सम्पूर्ण आराजी बदीया की ही खातेदारी है अथवा नही। इस प्रकार एब–इनिश्यो–वॉइड विक्रय पत्र को निरस्त कराने की आवश्यकता अपीलांट को नही है। इन प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष देकर अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है।

आदेश

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालोर का आदेश दिनाक 31.8.1998 (ना.क.सं.193) निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार जालोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक–धरमा के समस्त वारिसान् के सबंध में पुनः जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

S.d-
(डा.नरेन्द्रकुमार थोरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 13.11..2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d.
(डा.नरेन्द्रकुमार थोरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर